FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम– मण्ड़ावर (दौसा)

मु.नं.– 04/23 (विविध) उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसलीदार बैजूपाडा बनाम केशर देवी वगैरह

भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 131, 132 व राज. भू. नियम 1957 की धारा 58, 59, 60, 66 एवं 86

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
19.01.2023	आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मंडावर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम की धारा 131 एवं नियम 57 के नियम 58 ,59, 60 एवं 66 व 86 के अन्तर्गत स्थाई रूप से चालू रास्ता को राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित करने हेतू इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम **नांगल तहसील बैजूपाडा** स्थित आराजी ख0 नं0 100/0.25 मे से 0.02 है0, 118/0.73 मे से 0.02 है0, 120/0.49 मे से 0.02 है0, 121/1.00 मे से 0.04 है0 कुल रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.10 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही है। किन्तु राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज नही है। तहसीलदार मंडावर द्वारा प्रा0 पत्र के साथ सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही भुमि की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार मंडावर की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर स्थाई रूप से चालू है। तहसीलदार मंडावर ने प्रस्ताव अनुसार रास्ता स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया है। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार ग्राम **नांगल** तहसील बैजूपाडा स्थित प्रस्तावित भूमि की खातेदारी विभिन्न खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार मंडावर की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर स्थाई रूप से चालू है। जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि ग्राम **नांगल तहसील बैजूपाडा** स्थित आराजी ख0 नं0 100/0.25 मे से 0.02 है0, 118/0.73 मे से 0.02 है0, 120/0.49 मे से 0.02 है0, 121/1.00 मे से 0.04 है0 कुल रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.10 हैक्टेयर भूमि में प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक रूप से बना हुआ एवं सार्वजनिक रूप से रास्ते के काम आ रहा है। इस प्रकार की भूमि को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राजस्व/2003 दिनांक 10.08.2016 द्वारा राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने की शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को प्रदान की गयी है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसीलदार मंडावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है। ग्राम **नांगल तहसील बैजूपाडा** स्थित आराजी ख0 नं0 100/0.25 मे से 0.02 है0, 118/0.73 मे से 0.02 है0, 120/0.49 मे से 0.02 है0, 121/1.00 मे से 0.04 है0 कुल रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.10 हैक्टेयर भूमि भूमि को प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । खातेदारी यथावत बनी रहेगी तहसीलदार बैजूपाडा को आदेश जारी किये जावे कि उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे नक्शा ट्रैस इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	